

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० -

35/2018/प्रार्थना पत्र

तारीख दायर

12.02.2018

तारीख फैसला

28.02.2018

उनवान

- 1- सत्यनारायण पिता मदन माली निवासी पुरानी अरवड़ तह० फूलियाकलां
- 2- लादी पिता मदन माली निवासी पुरानी अरवड़ तह० फूलियाकलां
- 3- राधा बेवा मदन माली निवासी पुरानी अरवड़ तह० फूलियाकलां
- 4- नोरत पिता लक्ष्मण माली निवासी पुरानी अरवड़ तह० फूलियाकलां
- 5- धापू बेवा लक्ष्मण माली निवासी पुरानी अरवड़ तह० फूलियाकलां

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- सुरजमल पिता मोती कुम्हार निवासी नई अरवड़ तह० फूलियाकलां
- 2- गोरधन पिता चतरा बैरवा निवासी पुरानी अरवड़ तह० फूलियाकलां
- 3- छोटू पिता भूरा माली निवासी पुरानी अरवड़ तह० फूलियाकलां
- 4- रतन पिता भूरा कीर निवासी नई अरवड़ तह० फूलियाकलां
- 5- मदन पिता सुगना भाम्बी निवासी पुरानी अरवड़ तह० फूलियाकलां
- 6- मीटू पिता देबी भाम्बी निवासी पुरानी अरवड़ तह० फूलियाकलां
- 7- सोजी पिता छोटू कीर निवासी पुरानी अरवड़ तह० फूलियाकलां

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 128 एल०आर०एक्ट
विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है,
ग्राम अरवड़ पटवार हल्का अरवड़ तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के
संयुक्त खातेदारी की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 412 आ०न० 102
रकबा 0.22 है०, आ०न० 103 रकबा 0.09 है०, आ०न० 311 रकबा 0.28 है०,

आ0न0 319 रकबा 0.55 है0, आ0न0 320 रकबा 0.42 है0, आ0न0 330 रकबा 0.77 है0, आ0न0 1317 रकबा 0.01 है0, है0 आराजी कुल किता 07 रकबा 2.34 है0 भूमि स्थित है। पैरा नं0 1 में वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं0 1 व 7 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते हैं। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 में वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.02.2018 को विपक्षी संख्या अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नहीं हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने बहस करनी चाही जिससे उनकी एक तरफा बहस सुनी गई। बहस में अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम अरवड़ पटवार मण्डल अरवड़ संवत् 2072 से 75 के खाता संख्या 412 आ0न0 102 रकबा 0.22 है0, आ0न0 103 रकबा 0.09 है0, आ0न0 311 रकबा 0.28 है0, आ0न0 319 रकबा 0.55 है0, आ0न0 320 रकबा 0.42 है0, आ0न0 330 रकबा 0.77 है0, आ0न0 1317 रकबा 0.01 है0, है0 आराजी कुल किता 07 रकबा 2.34 है0 के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम अरवड़ पटवार हल्का अरवड़ तहसील फूलियाकलां में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 412 आ0न0 102 रकबा 0.22 है0, आ0न0 103 रकबा 0.09 है0, आ0न0 311 रकबा 0.28 है0, आ0न0 319 रकबा 0.55 है0, आ0न0 320 रकबा 0.42 है0, आ0न0 330 रकबा 0.77 है0, आ0न0 1317 रकबा 0.01 है0,





है0 आराजी कुल किता 07 रकबा 2.34 है0 के प्रार्थीगण के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे ऑफ सीजन मे पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 1000/- (अक्षरे एक हजार रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 28.02.2018 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।



(भंवरलाल कांसोटिया)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

सहायक कलेक्टर

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा